अनुदान संख्या 12 - औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
GRANT No.12 – DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*				
पूरक	*Supplementary*		*4,00*	..	*-4,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	1494,15,00	1494,19,00	1320,41,10	-173,77,90
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				151,71,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–		73,10,00	58,08,61	-15,01,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				11,56,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹4.00 लाख* का पूरक प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, supplementary provision of *₹4.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451” सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head “3451” Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	4253.00	4320.37	4146.04	-174.33
पु.	R.	67.37			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	19999.00			
पू.	S.	1.00	17.89	..	-17.89
पु.	R.	-19982.11			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	59745.00			
पू.	S.	2.00	37943.94	36448.47	-1495.47
पु.	R.	-21803.06			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	14001.00			
पू.	S.	1.00	39672.11	39669.15	-2.96
पु.	R.	25670.11			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	7416.00			
			8261.09	7861.26	-399.83
पु.	R.	845.09			

(I) ₹20185.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹20000.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹20185.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2012) remained wholly unutilized under nine heads; of these ₹20000.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – "Development of Backward Areas - Subsidies" - under the following heads:-

(का) "परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता" - ₹10001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(खा) "पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2007" - ₹9999.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग" के अंतर्गत ₹106.96 लाख की बचत (₹4253.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और घरेलू एवं विदेश यात्रा व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "उपभोक्ता उद्योग - अन्य - नमक" - ₹372.19 लाख की बचत (₹2984.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य"-

(क) "प्रशुल्क और मूल्य विनियमन - प्रशुल्क आयोग" - ₹126.96 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और विदेश यात्रा व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम - अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹620.00 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Transport Subsidy" – ₹10001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(B) "North East Industrial and Investment Promotion Policy, 2007" - ₹9999.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Industrial Policy and Promotion" - saving of ₹106.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4253.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards domestic and foreign travel expenses.

(III) Under Major Head "2852"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Consumer Industries - Others - Salt"- saving of ₹372.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2984.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "General" -

(a) "Tariff and Price Regulation – Tariff Commission" – saving of ₹126.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards foreign travel expenses.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Indian Leather Development Programme - SC Sub Plan" - saving of ₹620.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs); and

(ग) "अन्य व्यय" -

(i) "भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम" - ₹15880.01 लाख की बचत (₹24300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें मेगा लैदर क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों और सामूहिक बहि:स्रावी उपचार संयंत्रों के उन्नयन/स्थापना को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी प्रतिपूर्ति के लिए चमड़ा क्षेत्र एकीकृत विकास उप स्कीम के अंतर्गत उद्योग से कम मांग प्राप्त होने और नई उप स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने हुईं।

(ii) "औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम" - ₹386.30 लाख की बचत (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने और स्कीम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न किए जाने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(iii) "राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद" - ₹108.53 लाख की बचत (₹321.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और विदेश यात्रा व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(iv) "स्वशासी संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता" - ₹1943.41 लाख की बचत (₹9129.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान परिसरों के भूमि अधिग्रहण में विलंब होने और कुछ स्कीमों के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(c) "Other Expenditure" -

(i) "Indian Leather Development Programmes" - saving of ₹15880.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24300.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-approval of proposals under Mega Leather Cluster Scheme and up gradation/ installation of Common Effluent Treatment Plants (CETPs), less demand from industry under Integrated Development of Leather Sector sub-scheme for reimbursement towards modernization/ technology up gradation and non-approval of new sub-schemes.

(ii) "Industrial Infrastructure Upgradation Scheme" – saving of ₹386.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-release of funds owing to non-achievement of milestone as laid down in the scheme.

(iii) "National Manufacturing Competitiveness Council" - saving of ₹108.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹321.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards foreign travel expenses.

(iv) "Project Based Support to Autonomous Institutions"- saving of ₹1943.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9129.00 lakhs) was due to delay in land acquisition of new National Institute of Design campuses and delay in approval of some schemes.

(v) "निवेश संवर्धन के लिए स्कीम" - ₹3991.81 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई-बिज पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए 'टु बी' दस्तावेज पर अनुमोदन प्राप्त न होने और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवाएं इंक. नई दिल्ली के संबंध में सेवा स्तरीय करार प्राप्त न होने के कारण हुई।

(v) "Scheme for Investment Promotion" - saving of ₹3991.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to non-receipt of approval on 'to be' document for integration with e-Biz portal and non-receipt of service level agreement in respect of National Informatics Centre Services Inc. New Delhi.

(IV) मुख्य शीर्ष "2885" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायताएं - जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी राज्यों संबंधी पैकेज" के अंतर्गत ₹1585.92 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण राज्यों से दावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2885" – "Development of Backward Areas – Subsidies - Package for Special Category States for J&K, HP and Uttarakhand" - saving of ₹1585.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-approval of claims from States for want of clarification.

(V) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - आर्थिक सलाहकार" के अंतर्गत ₹185.55 लाख की बचत (₹865.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना स्कीम व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक के अंतर्गत प्रस्तावों के मूर्तरूप न लेने और विदेश दौरे कम किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3475" – "Other Expenditure - Economic Adviser" - saving of ₹185.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹865.00 lakhs) was due to non-materialization of proposals under Plan Scheme Business Service Price Index and less foreign tours.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹17373.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2012 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

3.(I) The above savings were partly (₹17373.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2012 under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2852" - "सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग - अन्य - राष्ट्रीय सीमेंट और भवन-निर्माण सामग्री परिषद" - ₹100.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹99.00 लाख था।

(A) Major Head "2852" – "Cement and Non-metallic Mineral Industries – Others – National Council for Cement and Building Materials" – ₹100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹99.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायताएं - औद्योगिक इकाइयों को परिवहन

(B) Major Head "2885" – "Development of Backward Areas – Subsidies -Transport Subsidy to

सहायता" - ₹17273.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹17272.00 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन" - ₹164.78 लाख का अधिक व्यय (₹925.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) औद्योगिक विकास निधि को स्वैच्छिक अंशदान जारी किए जाने और विनिमय दर में घटबढ़ होने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायताएं" -

(क) "केंद्रीय ब्याज सहायता स्कीम" - ₹1370.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "पूंजीगत निवेश सहायता" - ₹8612.07 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3475" - "पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेड मार्कों का विनियमन - बौद्धिक सम्पदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण" - ₹603.04 लाख का अधिक व्यय (₹2600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए पदों के सृजन एवं कम्प्यूटरीकरण और कार्यालय को पुन: डिजाइन किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹51.58 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत था।

Industrial Units"- ₹17273.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹17272.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" - "General - International Co-operation-United Nations Industrial Development Organisation" - excess of ₹164.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹925.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards voluntary contribution to Industrial Development Fund and exchange rate variations.

(B) Major Head "2885" - "Development of Backward Areas - Subsidies"-

(a) "Central Interest Subsidy Scheme" - excess of ₹1370.00 lakhs (against nil provision); and

(b) "Capital Investment Subsidy"- excess of ₹8612.07 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3475" – "Regulation of Patents, Designs and Trade Marks – Modernisation and Strengthening of Intellectual Property Office" – excess of ₹603.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2600.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards creation of new posts and computerization and redesigning of office.

(II) Under one head excess of ₹51.58 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2900.00	1744.00	1398.61	-345.39
पु.	R.	- 1156.00			

(I) "कार्यालय भवन - निर्माण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Under "Office Buildings – Construction" – savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान" - ₹494.98 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवासीय ब्लाक के निर्माण के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भूमि आबंटित न किए जाने के कारण हुई।

(A) "National Institute of Intellectual Property Management" – saving of ₹494.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-allotment of land by the Ministry of Urban Development for construction of Residential Block.

(खा) "बौद्धिक सम्पदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण" - ₹1006.41 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, नई दिल्ली द्वारा भवन निर्माण की प्रगति धीमी होने के कारण हुई।

(B) "Modernization and Strengthening of Intellectual Property Office" – saving of ₹1006.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to slow progress of construction of building by National Building Construction Corporation, New Delhi.